संख्या-37/2021/38-6002(002)/2/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक- 22 अक्टूबर, 2021

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश प्रथम किश्त (द्वितीय ट्रेंच) के सापेक्ष राज्य सरकार के बजट प्राविधान से केन्द्रांश निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-2700/2089/आजीविका/लेखा/2021-22 दिनांक 07-10-2021 एवं पत्रांक-1853/2089/आजीविका/लेखा/ 2021-22 दिनांक 02-09-2021 के क्रम में अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01/2021-आरएल(एनआरएलएम_30बी), दिनांक-31-08-2021 द्वारा अनुदान संख्या-83 (अनु0जाति मद) के अंतर्गत केन्द्रांश प्रथम किश्त (द्वितीय ट्रेंच) (60 प्रतिशत) धनराशि रूपये 12721.930 लाख अवमुक्त किया गया है। जिसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश(40 प्रतिशत) धनराशि रूपये 8481.287 लाख बनती है। इस प्रकार कुल धनराशि रूपये 21203.217 लाख के सापेक्ष अनुदान अन्तर्गत उपलब्ध कुल धनराशि रू0 6916.663 लाख (केन्द्रांश-रूपये 4150.00 लाख एवं राज्यांश रूपये 2766.663 लाख) निर्गत किया जाना था, किन्तु वित्त विभाग द्वारा मात्र केन्द्रांश धनराशि रू0 4150.00 लाख निर्गत किये जाने पर सहमति प्रदान की गई है।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01/2021-आरएल(एनआरएलएम_30बी),दिनांक-31-08-2021 द्वारा अनुदान संख्या-83 (अनु0जाति मद) के अंतर्गत अवमुक्त केन्द्रांश प्रथम किश्त (द्वितीय ट्रेंच) रूपये 12721.930 लाख के सापेक्ष अनुदान अंतर्गत उपलब्ध केन्द्रांश रूपये 4150.00 लाख (रूपये इकतालीस करोड़ पचास लाख मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

(1) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत, प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर, अपितु यथावश्यकता चरणों में किया जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(5) स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/ सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, **उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, **उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, **उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, **उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(11) भारत सरकार के पत्र दिनांक 31.08.2021 में अंकित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -83 के लेखाशीर्षक- "2501- ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- 01- समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाए- 0102 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के . 60/ रा. 40- के + रा)- 27 सब्सिडी " के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-1682-दस-2021-22, दिनांक-21-10-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।